

पब्लिक पर गिरा दवा कीमतों का 'सुपरबम'

■ वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली

एंटी कैंसर ड्रग ग्लिवेक की कीमत 8,500 रुपये से बढ़कर 1 लाख 8 हजार रुपये हो गई है। ब्लड प्रेशर की दवा प्लेविक्स 147 रुपये की जगह अब 1,615 रुपये में मिलने वाली है। कैंसर से लेकर एचआईवी और डायबिटीज जैसी बीमारियों की सौ

से ज्यादा दवाएं फिर से महंगी होने वाली है। केंद्र सरकार ने इन दवाओं की कीमत पर कंट्रोल के लिए जो सिस्टम

बनाया गया था, उसे

खत्म कर दिया है। सूत्रों का मानना है कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रेशर में यह फैसला लिया गया है।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के ड्रग डिपार्टमेंट ने नेशनल लिस्ट ऑफ असेशियल मेडिसिन (एनएलईएम) के बाहर की दवाओं की कीमत पर किसी तरह के कंट्रोल पर रोक लगा दिया है। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को जारी आदेश में कहा गया है कि वह

कैंसर और कई बीमारियों की मेडिसिन की कीमतों में इजाफा

बीमारी	दवा का नाम	कीमत अब	कीमत पहले
कैंसर	ग्लिवेक	1,08,000	8500
कैंसर	गेपिटनेट	11,500	5900
बीपी	प्लेविक्स	1615	147
इन्फेक्शन	मॉक्सीसिप400	399	250
कोलेस्ट्रॉल	स्टारवास	97	62
रैबीज	कैमरेब	7000	2670

8,500 रुपये से बढ़कर 1 लाख 8 हजार रुपये हो गई है कैंसर की दवा की कीमत



4 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज से पीड़ित

देश में डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या चार करोड़ से भी ज्यादा है। चार करोड़ 70 लाख हार्ट के मरीज हैं, 22 लाख टीबी के, जबकि 11 लाख कैंसर के मरीज हैं। दवा कंपनियां सरकार के इस फैसले से खुश हैं।

सिर्फ लिस्ट में शामिल दवाओं की कीमत के कंट्रोल में ही दखल दे। इससे पहले मंत्रालय ने एनएलईएम के आदेश में एनपीपीए को ऐसी दवाओं की कीमत को भी तय करने का अधिकार दिया था।

लेकिन अब मिनिस्ट्री ने इसे खत्म करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। इस समय एनएलईएम में 348 टाइप की दवाएं शामिल हैं। मगर बड़ी तादाद में ऐसी दवाएं इससे बाहर हैं, जो लोगों को आए दिन खरीदनी पड़ती हैं।

रैबिज की दवा भी महंगी

एक दवा कंपनी के ऑनर ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। इससे गरीब मरीजों की मुश्किल और बढ़ेगी। सरकार के पास दवाओं की कीमत कंट्रोल में रखने का कोई ठोस उपाय नहीं है। दवा दुकानदार भी इसकी वजह दवा कंपनियों का प्रेशर मान रहे हैं। उनका कहना है कि हार्ट, कैंसर, बीपी, एचआईवी के अलावा रैबीज की दवा कामरेब भी महंगी होने वाली है। इस साल मई में अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया था कि इन दवाओं की कीमतें घटा दी जाएं। एनपीपीए ने 800 ऐसी दवाओं की लिस्ट बना रखी है, जिन्हें अनिवार्य कहा जाता है और उनके दामों पर कंट्रोल कर रखा है, लेकिन फिर सभी दवाओं की कीमत कंट्रोल से बाहर चली जाएगी।